डी. आर्ड.
7/4/11

संख्या- 1124 /62-2-2011-2/3(83)/2010टीसी-।।

प्रेषक,

सुशील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
सम्बन्धित लघु सिंचाई प्रखण्ड।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 01 अप्रैल, 2011

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत जिला योजना से वित्त पोषित लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (निःशुल्क बोरिंग योजना) में सामान्य कृषकों हेतु बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र संख्या-3221/ल0सिं0/बजट-3/2011-12, दिनांक 31-03-2011 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21-3-2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (निःशुल्क बोरिंग योजना) (जिला योजना) के अन्तर्गत सामान्य कृषकों के लिए प्राविधानित धनराशि रू0-43,85,00,000/- (रूपया तैतालिस करोड़ पचासी लाख मात्र) के सापेक्ष रू0-21,92,50,000/- (रूपया इक्कीस करोड़ बान्नवें लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि का आवंटन संलग्न विवरणानुसार महामहिम राज्यपाल आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है :-

(1) यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत निःशुल्क बोरिंग योजना में सामान्य कृषकों को अनुदान उपलब्ध कराये जाने पर व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

(2) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(3) आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें।

(4) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।

(5) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निःशुल्क बोरिंग योजना केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू की जाये, जहाँ भू–गर्भ जल दोहन की स्थिति संतोषजनक हों। इस योजना में भू–गर्भ जल समस्या वाले क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से विभाग द्वारा प्रतिबन्धित किया जायेगा।

(6) निःशुल्क बोरिंग का कार्य 50 प्रतिशत धनराशि मनरेगा से डबटेल करके ही की जायेगी तथा कोई भी बोरिंग कार्य बिना मनरेगा से डबटेल किये नहीं की जायेगी।

(7) वित्तीय वर्ष 2011–12 की जिला योजना का जनपदवार परिव्यय अभी प्राप्त नही हुआ है परन्तु विभागीय योजनाओं के कियान्वयन का उपयुक्त समय अप्रैल, मई व जून माह है। अतः गत वर्ष 2010–11 की जिला योजना के आवंटन को आधार मानते हुए 50 प्रतिशत धनराशि की ही स्वीकृति निर्गत की जा रही है। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का आवंटन करते समय जनपदवार प्राप्त परिव्यय को देखते हुए स्वीकृति धनराशि को समायोजित करते हुए आवंटन किया जायेगा।

(8) प्रत्येक बोरिंग के साथ ही कम से कम 25 पेड़ किसान स्थानीय स्तर पर अपने लिए उपयोगी समझे, लगाये जाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

(9) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–बी–1–1195/दस–16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय के निम्नलिखित व्ययों को निर्धारित रूप पत्रों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों तक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को आगामी माह की 05 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायें जायें।

	आगामी माह की 05 तारीख तक
1– मासिक व्यय विवरण	15–10–2011 तक
2– प्रारम्भिक व्याधिक तथा बचत विवरण	15–12–2011 तक
3– व्ययाधिक तथा बचत का अंतिम विवरण	

4– वर्ष 2011–12 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो — 15–02–2012 तक

5– आवंटन का समर्पण — 15–03–2012 तक

नोट :– दिनांक 15–03–2012 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(11) तत्सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत अनुदान संख्या–13 के अधीन "लेखा शीर्षक–2702–लघु सिंचाई–आयोजनागत –80–सामान्य–800–अन्य व्यय–07–लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (बोरिंग तथा पम्पसेट निर्माण हेतु अंश का 50 प्रतिशत अनुदान)(जिला योजना)–27–सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/2010, दिनांक 21–3–2011 के तहत जारी किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1124 (1)/62–2–2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार, (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
5– सम्बन्धित जिलाधिकारी ।
6– सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी ।
7– सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग ।
8– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी ।
9– राज्य योजना आयोग अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
10– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
11– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
12–निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी सूचना, मुख्यमंत्री (श्री जमील अख्तर)।
13–एन0आई0सी0 की प्रति।
14–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

Bud.scp.2011-71

शा0सं0- 1124 /62-2-2011-2/3(83)/2010टीसी-11,दिनांक 01 अप्रैल,2011 का संलग्नक।

चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखाशीर्षक 2702-लघु सिचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07-लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता(बोरिंग तथा पम्पसेट निर्माण हेतु अंश का 50 प्रतिशत अनुदान) (जिला योजना)-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण।

(लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	प्रस्तावित परिव्यय	बजट प्राविधान	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	मेरठ	19.88	19.88	9.94
2	बागपत	0.39	0.39	0.20
3	गाजियाबाद	12.32	12.32	6.16
4	गौतमबुद्ध नगर	8.40	8.40	4.20
5	बुलन्दशहर	96.15	96.15	48.08
6	सहारनपुर	56.00	56.00	28.00
7	मुजफ्फरनगर	42.00	42.00	21.00
8	आगरा	0.81	0.81	0.40
9	मथुरा	11.45	11.45	5.70
10	फिरोजाबाद	28.28	28.28	14.14
11	मैनपुरी	40.50	40.50	20.25
12	अलीगढ़	251.97	251.97	125.99
13	महामायानगर	72.24	72.24	36.12
14	एटा	35.67	35.67	17.84
15	कांशीराम नगर	29.02	29.02	14.51
16	बरेली	195.97	195.97	97.99
17	बदायूं	45.19	45.19	22.60
18	शाहजहाँपुर	18.13	18.13	9.07
19	पीलीभीत	123.03	123.03	61.44
20	मुरादाबाद	21.14	21.14	10.57
21	ज्योतिबाफूले नगर	0.00	0.00	0.00
22	रामपुर	13.06	13.06	6.53
23	बिजनौर	21.46	21.46	10.73
24	लखनऊ	14.00	14.00	7.00
25	हरदोई	128.28	128.28	64.14
26	सीतापुर	188.55	188.55	94.28
27	खीरी	113.54	113.54	56.77
28	रायबरेली	37.45	37.45	18.73
29	उन्नाव	71.86	71.86	35.93

30	छत्र०शाहू जी महा०नगर	85.86	85.86	42.93
31	कानपुर नगर	9.84	9.84	4.92
32	रमाबाईनगर	41.48	41.48	20.74
33	इटावा	12.01	12.01	6.00
34	औरैया	21.63	21.63	10.82
35	फर्रुखाबाद	17.01	17.01	8.51
36	कन्नौज	13.86	13.86	6.93
37	इलाहाबाद	4.24	4.24	2.12
38	कौशाम्बी	0.14	0.14	0.07
39	फतेहपुर	2.87	2.87	1.44
40	प्रतापगढ़	14.21	14.21	7.11
41	वाराणसी	11.40	11.40	5.70
42	चन्दौली	64.23	64.23	32.12
43	जौनपुर	146.09	146.09	73.05
44	गाजीपुर	129.50	129.50	64.75
45	मिर्जापुर	7.84	7.84	3.92
46	सोनभद्र	3.78	3.78	1.89
47	सन्तरविदास नगर	0.98	0.98	0.49
48	फैजाबाद	81.20	81.20	40.60
49	अम्बेडकर नगर	63.00	63.00	31.50
50	बाराबंकी	140.00	140.00	70.00
51	सुल्तानपुर	77.00	77.00	38.50
52	गोण्डा	154.00	154.00	77.00
53	बलरामपुर	42.00	42.00	21.00
54	बहराइच	56.00	56.00	28.00
55	श्रावस्ती	112.00	112.00	56.00
56	गोरखपुर	185.33	185.33	92.67
57	महाराजगज	192.50	192.50	96.25
58	देवरिया	225.72	225.72	112.86
59	कुशीनगर	126.00	126.00	63.00
60	बस्ती	77.00	77.00	38.50
61	सन्तकबीर नगर	181.37	181.37	90.69
62	सिद्धार्थ नगर	126.00	126.00	63.00
63	आजमगढ़	147.00	147.00	73.50
64	मऊ	57.53	57.53	28.77
65	बलिया	55.47	55.47	27.74
66	झाँसी	0.49	0.49	0.25
67	जालौन	0.14	0.14	0.07
68	ललितपुर	0.00	0.00	0.00
69	हमीरपुर	1.26	1.26	0.63
70	महोबा	0.14	0.14	0.07

71	बाँदा	0.07	0.07	0.04
72	चित्रकूट	0.07	0.07	0.04
	योगः–	**4385.00**	**4385.00**	**2192.50**

(रूपया इक्कीस करोड़ बानबे लाख पचास हजार मात्र)

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।